भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 995

28 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: मंत्रालय गठित करने हेतु परिस्थितियां

995. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन परिस्थितियों के कारण नये सहकारिता मंत्रालय का गठन करना पड़ा;

(ख) तत्संबंधी प्रस्तावित कार्यात्मकता और संगठनात्मक ढांचा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय राज्य सहकारी विभागों के साथ मिलकर कार्य करेगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल.वर्मा)

(क): सरकार की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पुनर्गठित/विलय (मर्ज)/सृजित किया जाता है।

(ख): भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय को आबंटित कार्य **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ग): जी, हाँ।

<u>अनुबंध-I</u>

i. सभी क्षेत्रों में सहयोग और सहकारिता क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति
नोट:- संबंधित मंत्रालय क्षेत्र में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

ii. "सहयोग से समृद्धि" तक के विजन की प्राप्ति

iii. देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करना।

iv. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

v. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे (फ्रेमवर्क) का निर्माण।

vi. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले

vii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

viii. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:
बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

ix. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों (ऑफिस बियरर्स) और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

*****